



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल



क्रमांक/एन.एच.एम./आशा/2015/

भोपाल, दिनांक...../2015

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय:- वर्ष 2015-16 में आशा सहयोगी के तीन दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण के संबंध में ।

विषयांतर्गत लेख है कि वर्ष 2015-16 में आशा सहयोगी का तीन दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण जिलों में आयोजित किया जाना है।

प्रशिक्षण आयोजित करने से पूर्व निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करे:-

1. प्रशिक्षण में भेजने के पूर्व यह देखा जाना आवश्यक है कि आशा सहयोगी प्रशिक्षण लेने योग्य है कि नहीं?
2. आशा सहयोगी जिन्हें प्रशिक्षण में उपस्थित होना है उन्हें 1 सप्ताह पूर्व सूचित करें।
3. प्रशिक्षण हेतु स्थल यदि शासकीय हो तो उसका उपयोग किया जाना ज्यादा उचित होगा।
4. प्रतिभागियों के आवास व्यवस्था में सुरक्षा, बिजली पानी आदि बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखा जायें।
5. भोजन व्यवस्था ठीक प्रकार से की जाये।
6. आशाओं सहयोगियों को प्रथम दिवस प्रातः 9 बजे आने एवं अंतिम दिवस शाम 5 बजे तक प्रशिक्षण पूर्ण कर छोड़ दिया जाये।
9. प्रशिक्षण सामग्री रजिस्ट्रेशन के साथ ही दिये जायें।
10. आशा सहयोगी प्रशिक्षण की जिम्मेदारी DCM/BCM की है, अतः जिले में आयोजित बैचेस की मानिट्रिंग का कार्य CMHO/DPM/DCM/ इंचार्ज अधिकारी द्वारा किया जाये।
11. प्रशिक्षण की पूर्ण सूचना राज्य स्तर पर भी दी जाये जिससे राज्य स्तर से भी प्रशिक्षण की मानिट्रिंग की जा सकें।
12. प्रति बैच प्रशिक्षण में 3 ट्रेनर का प्रावधान है। ट्रेनर की यह जिम्मेदारी है कि आशा सहयोगी को प्रशिक्षण के समय मॉड्यूल में प्रदाय की गई समस्त सामग्री आशा सहयोगी समझ सकें एवं उनका स्किल डेवेलपमेंट हो सके, ताकि वह क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान आशा की मदद कर सकें।
13. प्रशिक्षण में गुणवत्ता का ध्यान रखा जायें। अनावश्यक विषयों से समय खराब न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाये।
14. प्रशिक्षण के समय प्रशिक्षण सामग्री, स्किल प्रैक्टिस, छोटे ग्रुप बनाकर डिस्कशनस, छोटे एसाइनमेंट दिये जाएं जिससे प्रशिक्षण सरस बना रहेगा।
15. प्रशिक्षण में क्वालिटी का ध्यान रखा जाना सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अनुभवी एवं जिनको प्रशिक्षण प्रदाय करने में अच्छी पकड़ हो उन्हें ही ट्रेनर बनाया जायें। प्रशिक्षण पूर्व, व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जायें। ट्रेनिंग मटेरियल में सभी विषय कवर किये जायें।
16. Pre – post training evaluation एवं documentation अवश्य किया जाये।
17. प्रशिक्षण में व्यय की गई राशि original bil से जिले में प्रस्तुत किये जायें जिससे भुगतान में परेशानी ना हों।
18. भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय प्रावधान निम्नानुसार है :-

:- प्रति बैच 30 आशा 3 दिवसीय प्रशिक्षण

क्र.	विवरण	गणना	कुल राशि
1	भोजन, आवास एवं प्रशिक्षण स्थल	रु0 200X33 प्रतिभागी X 3 दिन	19800
2	प्रशिक्षकों का मानदेय	रु0 600X3 व्यक्ति X 3 दिन	5400
3	प्रशिक्षकों का यात्रा व्यय	रु0 200X3 व्यक्ति X 2	1200
4	ट्रेनिंग किट तथा स्टेशनरी (बेनर, फोटोग्राफ, फोटोकापी आदि)	रु0 75X30 प्रतिभागी	2250
	योग		28650
5	6 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय (कुल व्यय का 6 प्रतिशत)		1719
			30369

19. भारत सरकार से प्राप्त गाइडलाइन (community process) के अनुसार प्रशिक्षण के दिशा निर्देश तैयार किये गये हैं। प्रशिक्षण संबंधी समस्या अपने स्तर से निराकृत करने का प्रयास करें। यदि संभव ना हो तो राज्य स्तर पर समस्त तथ्यों के साथ सूचित करें, जिससे निराकरण किया जा सकें।
20. आशा सहयोगी प्रशिक्षण हेतु पूर्व में उपयोग की गयी प्रशिक्षण सामग्री का इस वर्ष उपयोग हो।
21. जिले में उपलब्ध सभी trainers को उपयोग करें।
22. बजट कोड-गतिविधि एफएमआर कोड **बी 1.1.1.5.1** है, बैच आयोजन के बाद में बुकिंग करे। साथ ही डीसीएम द्वारा प्रशिक्षण का फीडबैक एवं रिपोर्ट आशा वेबसाइट में दर्ज की जावे।
23. आशा सहयोगी का मानदेय एवं यात्रा व्यय सपोर्टिव सुपरविजन मद (गतिविधि एफएमआर कोड **बी 1.1.1.4.1**) से प्रदान करे अतः उसकी गणना इस बजट में नहीं की गयी है।
24. आशा सहयोगी की रिफ्रेशर प्रशिक्षण में उपस्थिति दिवसों की सूचना जिले द्वारा संबंधित ब्लॉक की अनिवार्य रूप से दी जावे ताकि सहयोगी के भुगतान में कोई परेशानी न हो।
25. गुणवत्तापूर्ण आशा कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु आशा सहयोगी एक महत्वपूर्ण कड़ी है, अतः प्रशिक्षण की गुणवत्ता बरकरार रखने हेतु हर संभव प्रयास करे।
26. आशा सहयोगी को जारी पत्र में प्रशिक्षण के प्रथम दिवस समय पर उपस्थित होने हेतु अनिवार्य रूप से कहा जाये।

संलग्न –जिले को बैच की जानकारी

(फैज अहमद किदवई)

मिशन संचालक,

एन.एच.एम., मध्यप्रदेश

भोपाल,दिनांक..... / 2015

क्र./एन.एच.एम./आशा/2015/

प्रतिलिपि :-सूचनार्थ-

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, म.प्र. शासन, भोपाल।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र. शासन, भोपाल।
3. संचालक, एनएचएम, मध्यप्रदेश।
4. संचालक, वित्त, एनएचएम, मध्यप्रदेश।
5. समस्त कलेक्टर जिला मध्यप्रदेश।
6. समस्त, ब्लॉक मेडीकल आफिसर, मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक
एन.एच.एम., मध्यप्रदेश

<u>District Name</u>	<u>Total ASHASahyogi</u>	<u>no of Batches Approved</u>
Agar	0	0
Alirajpur	45	2
Anuppur	48	2
Ashoknagar	45	2
Balaghat	40	1
Barwani	70	2
Betul	92	2
Bhind	99	2
Bhopal	29	1
Burhanpur	28	1
Chhatarpur	90	2
Chhindwara	136	2
Damoh	86	2
Datia	48	2
Dewas	96	2
Dhar	127	2
Dindori	60	2
Guna	46	2
Gwalior	40	1
Harda	38	1
Hoshangabad	96	2
Indore	66	2
Jabalpur	72	2
Jhabua	72	2
Katni	68	2

Khandwa	58	2
Khargone	122	2
Mandla	94	2
Mandsaur	71	2
Morena	85	2
Narsinghpur	63	2
Neemuch	39	1
Panna	78	2
Raisen	94	2
Rajgarh	82	2
Ratlam	68	2
Rewa	137	2
Sagar	119	2
Satna	114	2
Sehore	68	2
Seoni	99	2
Shahdol	71	2
Shajapur	77	2
Sheopur	26	1
Shivpuri	107	2
Sidhi	67	2
Singrouli	45	2
Tikamgarh	59	2
Ujjain	78	2
Umaria	41	1
Vidisha	64	2
Total	3586	100

पूर्व के प्रशिक्षणों में यह देखने में आया है कि बहुत ज्यादा मात्रा में आशायें फेल हो रही हैं तो राज्य स्तर पर तत्काल सूचित करें।